नागरिक शिकायत सूचना पत्र

City of Burlington Police Department के सदस्य न्यायोचित, प्रभावी और निष्पक्ष ढंग से कानून लागू कराने रूपी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सभी के सर्वोत्तम हित में है कि किसी विशेष अधिकारी के प्रदर्शन के बारे में आपकी शिकायत को न्यायोचित ढंग से और शीघ्रता से हल किया जाए। आपकी शिकायत की जाँच के लिए पुलिस विभाग के पास औपचारिक प्रक्रियाएँ हैं। इन प्रक्रियाओं का डिजाइन नागरिकों और कानून लागू कराने वाले अधिकारियों, दोनों के अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है:

1. गुमनाम सरोतों सिहत किसी भी व्यक्ति से अधिकारी / कर्मचारी केबारेमें कदाचार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए।

2. शकायतकर्ता की आयु, नस्ल, नस्ल, धर्म, लिंग, यौन अिभिवन्यास, विकलांगता या आवजर्न सि्थत की परवाह किए बिना शिकायत स्वीकार किया जाएगा।

3. आपकी शिकायत को किसी उच्चाधिकारी या आंतरिक मामलों केलिए विशेष रूप से पिर्शिक्षत अधिकारी केपास भेजा जाएगा जो मामले की विस्तृत और उद्देश्यपूर्णजाँच करेगे।

4. आपको घटना केबारेमें विस्तृत विवरण दे कर जाँच में मदद करने केलिए कहा जा सकता है कि क्या हुआ था या / और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने केलिए कहा जा सकता है।

5. कानून लागू कराने वाले अधिकारियों केविरूद्ध सभी शिकायतों की विस्तृत जाँच की जाती है। यिद अनुरोध किया जाता है, तो आपको जाँच की सि्थत और उसकेअंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क जानकारी पदार्न करते हैं। अधिरोपित सटीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाँच केअंतिम परिणाम केबारेमें आपको सूचित किया जाएगा, अर्थात्:

    a. शकायत की वैधता मान ली गई: सबूतों को देखने से पता चलता है कि अधिकारी ने किसी कानून; िविनयमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पिकर्यार; एजेंसी पर्ोटोकॉल; परिचालन पिकर्यार; सिद्धांत; या पिशर्क्षण का उल्लंघन किया है।

    b. शकायत निराधार पाया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि किथत कदाचार नहीं हुआ था।

    c. दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि किथत आचरण हुआ था, लेकिन किसी भी कानून; िविनयमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पिकर्यार; एजेंसी पर्ोटोकॉल; परिचालन पर्कियार; सिद्धांत; या पिशर्क्षण का उल्लंघन नहीं किया गया था।

    d. शकायत अवैध है: आरोप को स्पष्ट रूप से साबित करने या खारिज करने में जाँच पर्याप्त सबूतों का खुलासा करने में विफल रहा।

6. यद हमारी जाँच यह दर्शाती है कि अपराध किया गया हो सकता है, तो काउंटी अभियोजक को सूचित किया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।

7. यद हमारी जाँच केपरिणामस्वरूप किसी अधिकारी पर विभाग केनियमों केउल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो विभागीय सुनवाई में आपको गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।

8. यद हमारी जाँच दर्शाती है कि शिकायत निराधार है या अधिकारी ने ठीक से काम किया है तो मामला बंद कर दिया जाएगा।

9. आंतरिक मामलों की जाँच गोपनीय है और सभी अनुशासनात्मक सुनवाई जनता केलिए बंद रहेगी, जब तक कि पितर्वादी अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।

10. आप मामले केबारे में किसी भी अतिरिक्त जानकारी या किसी भी पर्श्न केसाथ Captain Robert O'Brien 262-386-609 पर कॉल कर सकते हैं।